झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2471 / 2018

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा-डीजीएम (पी एंड ए) डीएसडी सरस्वती, पिता;-स्वर्गीय डीपी नरसिम्हाराव, आयु;-59 वर्ष, महाप्रबंधक, मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (आरएमडी), किरीबुरु, डाकघर ;-किरिबुरु, थाना;-किरिबुरु, जिला पश्चिम सिंहभूम, पिन 833222 द्वारा विधिवत अधिकृत।
2. उप महाप्रबंधक, कार्मिक और प्रशासन विभाग, मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (आरएमडी), किरीबुरु, डाकघर;- किरिबुरु, थाना;- किरिबुरु, जिला पश्चिम सिंहभूम, पिन 833222।
3. उप निदेशक [एम एंड एच], आरएमडी, सेल, कोलकाता, इंडस्ट्री हाउस, चौथी से छठी मंजिल, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता, डाकघर;- कैमक स्ट्रीट, थाना;-कैमक स्ट्रीट, जिला- कोलकाता, पिन 833 222।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरएमडी, सेल, एमआईओएम, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, किरीबुरु, डाकघर किरिबुरु, थाना- किरिबुरु, जिला पश्चिम सिंहभूम, पिन 833222। ... ... **याचिकाकर्ताओं**

बनाम

गंगाधर पान, पिता- स्वर्गीय मखमल पान, निवासी गांव फुलाई, डाकघर मझगांव, थाना- मझगांव, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड, वर्तमान निवास- टाइप-2, क्वार्टर सं. 33/2, मोहल्ला किरीबुरु मुर्गा पाड़ा, महावीर चौक, डाकघर- किरीबुरु, थाना-किरीबुरु, जिला पश्चिम सिंहभूम, पिन 833222। ... ... **उत्तरदाता**

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय श्री न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ताओं के लिए	: श्री अजय कुमार साह, अधिवक्ता
उत्तरदाता के लिए	: श्री प्रेम मार्डी, अधिवक्ता

आदेश संख्या 14: दिनांक 4 जनवरी, 2024

प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, न्याय० :

1. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना पीठ, पटना (रांची में सर्किट बेंच) द्वारा ओ.ए/051/00104/2016 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल रिट याचिका दायर की गई है, जिसके तहत उत्तरदाता -मूल आवेदक द्वारा पसंद किए गए मूल आवेदन को रिट याचिकाकर्ता-सेल को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाता -मूल आवेदक के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। चिकित्सा अमान्यकरण के तहत उत्तरदाता -मूल आवेदक के पिता की मृत्यु और न्याय और समानता के व्यापक हित में मनमाना और तर्कहीन और कर्मचारी विरोधी होने के कारण दिनांक 25.03.2011 के परिपत्र के खंड 2.3 को रद्द कर दिया।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

3. उत्तरदाता -मूल आवेदक के पिता को कार्मिक और प्रशासन विभाग (विभाग पी एंड ए), मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (आरएमडी), किरीबुरु, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में सहायक कैंटीन जूनियर तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था। इस तरह काम करते हुए, उत्तरदाता -मूल आवेदक के पिता को भर्ती कराया गया था और सेप्टीसीमिया और हेपेटिक/रीनल फेलियर के साथ क्रोनिक लिवर

रोग और क्रोनिक किडनी रोग के इलाज के लिए कई सेल अस्पतालों में इलाज किया गया था, लेकिन उनकी हालत खराब हो रही थी। इसके बाद तीन डॉक्टरों के गठन वाले एक मेडिकल बोर्ड ने उनके मामले को 05.01.2015 को आगे की समीक्षा के लिए अपोलो अस्पताल, कोलकाता को संदर्भित करने के लिए वरिष्ठ उप निदेशक (एम), आरएमडी, कोलकाता को संदर्भित किया।

4. यह उत्तरदाता -मूल आवेदक का मामला है कि उसके पिता को उसकी चिकित्सा स्थिति के बारे में 17.01.2015 को पता चला है कि उसमे और अधिक सुधार नहीं होगा, इस तरह उसने अपोलो अस्पताल से ही 21.01.2015 को "चिकित्सा अमान्यकरण" की घोषणा के लिए और अपने बड़े बेटे (उत्तरदाता) को रोजगार के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन उपचार के दौरान उसके पिता की मृत्यु 09.02.2015 को हार्नेस में हुई थी, उसे विधिवत गठित समिति द्वारा "चिकित्सकीय रूप से अमान्य" घोषित किया गया था। ।

5. यह उत्तरदाता -मूल आवेदक का एक और मामला है कि रिट याचिकाकर्ता-प्राधिकरण ने रोजगार के लिए कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि उत्तरदाता -मूल आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए मूल आवेदन दायर करके ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, जिसे अनुमति दी गई, रिट याचिकाकर्ता-सेल को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाता -मूल आवेदक के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया। "चिकित्सा अमान्यकरण" के तहत उत्तरदाता -मूल आवेदक के पिता और आगे परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.3 को अलग कर दिया।

6. यह स्पष्ट है कि आवेदक-उत्तरदाता के पिता, रिट याचिकाकर्ता-सेल के तहत सेवा करते समय बीमार हो गए, क्योंकि उनकी बीमारी के इलाज के लिए कई सेल अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह अपीलकर्ता का मामला है कि उत्तरदाता -कर्मचारी का इलाज करने वाले डॉक्टर, जिसके तहत कर्मचारी का इलाज चल रहा था, ने 17.01.2015 को अपनी चिकित्सा अमान्यता का प्रमाण पत्र दिया था। इसके अनुसरण में, अपीलकर्ता के

पिता ने अपने बड़े बेटे, उत्तरदाता के रोजगार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद, मूल आवेदक-उत्तरदाता के पिता ने फिर से "चिकित्सा अमान्यकरण" के लिए आवेदन दिया है और अपने बड़े बेटे (उत्तरदाता) के रोजगार के लिए महाप्रबंधक (खान), सेल, आरएमडी, मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (एमआईओएम) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिया है। योजना की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए उसी दिन उच्च अधिकारी को भेज दिया गया था और यहां तक कि चिकित्सा प्रभारी की राय भी 03.02.2015 को प्राप्त हुई थी, जिसमें डॉक्टर ने उक्त योजना के प्रावधान के अनुसार दुर्बल बीमारी से पीड़ित होने के कारण चिकित्सा अमान्यता के विचार के लिए मखमल पान (उत्तरदाता के पिता) के मामले की सिफारिश की थी। हालांकि, उक्त मखमल पान (उत्तरदाता के पिता) के "चिकित्सा अमान्यकरण" के बारे में निर्णय लेने से पहले, संबंधित कर्मचारी की मृत्यु 09.02.2015 को हुई थी, क्योंकि विधिवत गठित समिति द्वारा "चिकित्सा अमान्यकरण" पर कोई रिपोर्ट नहीं थी, जैसा कि परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.0 और 2.3 के प्रावधान के तहत आवश्यक था।

7. यह भी स्वीकार किया जाता है कि मूल आवेदक, गंगाधर पान, जो मृत कर्मचारी का नामिती होने का दावा करता है, ने सेल की "कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] का विकल्प चुना था और 07.09.2015 को एक वचन दिया था कि चूंकि उसने कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] का विकल्प चुना है, इसलिए वह या उसका कोई आश्रित अपने पिता (मखमल पान) के निधन पर भविष्य में अनुकंपा के आधार पर सेल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के वचनबद्धता प्रस्तुत करने के बाद भी, आवेदक ने संबंधित कर्मचारी के "चिकित्सा अमान्यकरण" के आधार पर दिनांक 25.03.2011 के परिपत्र के खंड 2.0 और खंड 2.3 के संदर्भ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए आवेदन किया है। उक्त शिकायत का निवारण नहीं होने के कारण, आवेदक ने इस आधार पर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया कि भले ही सेल की "कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] नामक योजना का चयन करते हुए उपक्रम प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन उसके

पिता ने चिकित्सा अमान्यता के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, हालांकि इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जा सकता था, आवेदक के पिता की मृत्यु 09.02.2015 को हो गई, इसलिए मृत कर्मचारी के "चिकित्सा अमान्यकरण" के संबंध में घोषणा नहीं दी जा सकती थी।

8. आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि आवेदक की ओर से कोई कमी नहीं है क्योंकि यह उत्तरदाता -रिट याचिकाकर्ता है जिसने निर्णय नहीं लिया है और इस बीच कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, जिसके लिए मृतक-कर्मचारी के आश्रित को पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

9. रिट याचिकाकर्ता-सेल ने उपस्थित होकर इस आधार पर लिखित बयान दायर किया है कि चूंकि आवेदक ने वचन पत्र प्रस्तुत करके ईएफबीएस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, इसलिए वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है। इसके अलावा दिनांक 25.03.2011 के परिपत्र के खंड 2.0 और 2.3 का हवाला देते हुए आधार लिया गया है, जो स्पष्ट करता है कि योजना के तहत विचार की तारीख वह तारीख होगी जिस पर समिति किसी कर्मचारी को चिकित्सा अमान्य घोषित करती है और यदि कर्मचारी की बीमारी के कारण या अन्यथा समिति के चिकित्सा अमान्यकरण की घोषणा से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मृत्यु को "प्राकृतिक मृत्यु" माना जाएगा। चूंकि आवेदक के पिता की मृत्यु से पहले प्रबंधन की विधिवत गठित समिति द्वारा "चिकित्सा अमान्यकरण" घोषित नहीं किया जा सकता था, इसलिए आवेदक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने का हकदार नहीं है।

10. विद्वान न्यायाधिकरण, पार्टियों के लिए विद्वान वकील के सुनवाई के बाद, निम्नलिखित दिशा के साथ मूल आवेदन की अनुमति दी है:

> *"ओए की अनुमति है। प्रतिवादियों को निदेश दिया जाता है कि वे चिकित्सीय अशक्तता के तहत पिता की मृत्यु का इलाज करने वाले अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदक के दावे पर विचार करें और 25.03.2011 के परिपत्र के खंड -2.3 में ऐसी मृत्यु का इलाज करना*

स्वाभाविक है, केवल इसलिए कि चिकित्सा अमान्यकरण समिति द्वारा नहीं किया गया था, मनमाना और तर्कहीन और कर्मचारी विरोधी होने के कारण, उक्त प्रावधान को न्याय और समानता के बड़े हित में रद्द किया जाता है।

11. रिट याचिकाकर्ता-सेल ने निम्नलिखित आधारों पर तत्काल रिट याचिका दायर करके विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का विरोध किया है:

I. ट्रिब्यूनल ने केवल इस आधार पर आदेश पारित करने में गलती की है कि चूंकि कर्मचारी ने कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] के लिए चयन करने का वचन दिया है, इसलिए वह या उसका कोई भी आश्रित अपने पिता के दुखद निधन पर भविष्य में अनुकंपा के आधार पर सेल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा, नामत मखमल पान, अत बाद में इसके विपरीत आवेदक दिनांक 25-03-2011 के परिपत्र के खंड 2.0 और 2.3 की सहायता लेते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता है जिसमें संबंधित कर्मचारी के चिकित्सीय अमान्यकरण प्रमाणपत्र के मामले में ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन अधिकरण द्वारा पूर्वोक्त वचन को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और यह निष्कर्ष दिया गया है कि यह नियोक्ता द्वारा जबरदस्ती किया गया है। द्वितीय मूल आवेदन में दिए गए बयान का हवाला देते हुए आधार लिया गया है, मूल आवेदक [उपक्रम के हस्ताक्षरकर्ता] के साथ जबरदस्ती के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है और इस तरह ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई उक्त टिप्पणियां/निष्कर्ष मूल आवेदक द्वारा मूल आवेदन में की गई दलील के विपरीत है। इसलिए, उक्त निष्कर्ष बिल्कुल विकृत है।

II. मूल आवेदन में दिए गए बयान का हवाला देते हुए आधार लिया गया है, मूल आवेदक [उपक्रम के हस्ताक्षरकर्ता] को जबरदस्ती के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है और इस तरह ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई उक्त टिप्पणियां/निष्कर्ष मूल आवेदक द्वारा मूल आवेदन में की गई दलील के विपरीत है। इसलिए, उक्त निष्कर्ष बिल्कुल विकृत है।

III. विद्वान ट्रिब्यूनल ने उक्त परिपत्र के खंड 2.0 और 2.3 के तहत निहित प्रावधान की भी सराहना नहीं की है, जिसके तहत नीतिगत निर्णय के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित कर्मचारी की मौत हो गई तो कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों में से एक के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। यह कहा गया है कि जो भी कारण हो सकता है कि "चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र विधिवत गठित समिति द्वारा जारी नहीं किया गया था, इसलिए योजना के खंड 2.3 के अनुसार, यदि समिति द्वारा "चिकित्सा अमान्यकरण" की घोषणा से पहले कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु को "प्राकृतिक मृत्यु" माना जाएगा और आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि "कर्मचारी परिवार लाभ योजना" के तहत लाभ उठा सकते हैं।

12. पूर्वोक्त आधारों पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

13. जबकि दूसरी ओर, मूल आवेदक के विद्वान वकील-उत्तरदाता ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है

I. ट्रिब्यूनल ने योजना के इरादे को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आदेश को पारित करने में गलती नहीं की है जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से फायदेमंद है। यह तर्क दिया गया है कि नियोक्ता द्वारा कानून का एक लाभकारी टुकड़ा तैयार किया गया है जिसे उदार भावना दी जानी चाहिए और हाइपर तकनीकी दृष्टिकोण नहीं लिया जाना चाहिए।

II. यह तर्क उठाया गया है कि जब मृत कर्मचारी को गंभीर बीमारी हुई है और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है और चिकित्सा अमान्यता के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन

"चिकित्सा अमान्यकरण" के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो गई और मामला प्रबंधन के पक्ष में लंबित रहा, जिसके लिए मृत कर्मचारी के आश्रित को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। अधिकरण ने मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार किया है और लाभकारी विधान की भावना के साथ चलते हुए नियोक्ता द्वारा लिए गए इस आधार को नकारते हुए सही निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि वचन प्रस्तुत किया गया है इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

14. इन आधारों के आधार पर उत्तरदाता -मूल आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस तरह तत्काल रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ आक्षेपित आदेश में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज निष्कर्षों का भी अवलोकन किया है।

16. इस न्यायालय ने, पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह विचार किया है कि निम्नलिखित मुद्दों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है: -

I. क्या सेल (कच्चा माल प्रभाग), कोलकाता द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.0 और 2.3 में मूल आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का कोई अधिकार दिया गया है?

II. क्या अन्य लाभों का चयन करते समय मूल आवेदक-उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 07.09.2015 के वचन को कानून की नजर में परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.3 के तहत लाभ का दावा करने के लिए गैर-स्थाई कहा जा सकता है?

III. क्या ट्रिब्यूनल द्वारा इस आशय का निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि इस तरह के उपक्रम को नियोक्ता द्वारा जबरदस्ती के तहत लिया गया है, भले

ही मूल आवेदन में उस आशय की कोई दलील नहीं है, इसे विकृति से ग्रस्त कहा जा सकता है?

IV. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल ने न्याय और समानता के व्यापक हित में दिनांक 25.03.2011 के परिपत्र के खंड-2.3 को मनमाना, तर्कहीन और कर्मचारी विरोधी होने के कारण रद्द करने में सही है?

17. यह न्यायालय, उपरोक्त के रूप में तैयार किए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस मामले में शामिल स्वीकृत तथ्यात्मक पहलू को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करना उचित और उचित समझता है।

18. आवेदक-उत्तरदाता के पिता को कार्मिक और प्रशासन विभाग (विभाग पी एंड ए), मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खान (आरएमडी), किरीबुरु, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में सहायक कैंटीन जूनियर तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तरह काम करते समय, मूल आवेदक-उत्तरदाता के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए जिसके लिए उन्होंने कई सेल अस्पतालों में इलाज कराया लेकिन उनकी हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती गई।

19. इसके बाद तीन डॉक्टरों वाले एक मेडिकल बोर्ड ने उनके मामले को वरिष्ठ उप निदेशक (एम), आरएमडी, कोलकाता को भेज दिया ताकि उनके मामले को अपोलो अस्पताल, कोलकाता में आगे बढ़ाया जा सके।

20. यह अपीलकर्ता का मामला है कि उत्तरदाता -कर्मचारी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने जिसके तहत कर्मचारी का इलाज चल रहा था, ने 17.01.2015 को अपनी चिकित्सा अमान्यता का प्रमाण पत्र दिया था। इसके अनुसरण में, मूल आवेदक-उत्तरदाता के पिता ने अपने बड़े बेटे, उत्तरदाता के रोजगार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता अधिकारियों की विधिवत गठित समिति द्वारा "चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 09.02.2015 को हुई थी।

21. इसलिए, यह स्वीकार किया जाता है कि विधिवत गठित समिति द्वारा मृत कर्मचारी के "चिकित्सा अमान्यकरण" के संबंध में घोषणा देने वाला कोई

"चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे चिकित्सा अमान्यकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता का कारण दिनांक 25-03-2011 के परिपत्र के खंड 2.0 और 2.3 के अनुसार आवश्यकता थी जिसे खंड 2.0 और 2.3 के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मामले पर विचार करने के प्रयोजन से लागू किया गया है क्योंकि यह नियम 2.0 और 2.3 के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मामले पर दिनांक 25-03-2011 के परिपत्र की प्रविष्टि संख्या 2.3 के अनुसार विचार करने के प्रयोजन से लागू किया गया है। ।

22. तैयार संदर्भ के लिए, सेल (कच्चा माल प्रभाग), कोलकाता द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.0 और 2.3 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

23. उद्धरण

24. यह न्यायालय खंड 2.0 पर विचार नहीं कर रहा है, बल्कि खंड 2.3 विचाराधीन है, जिस पर ऊपर तैयार किए गए मुद्दों और मूल आवेदक के दावे का उत्तर देने के लिए विचार करने की आवश्यकता है।

25. खंड 2.3 में कहा गया है कि "चिकित्सा अमान्यकरण" के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है जिसे विधिवत गठित समिति द्वारा दिया जाना है।

26. यहां स्वीकृत तथ्य यह है कि "मृत कर्मचारी का चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र विधिवत गठित समिति द्वारा संबंधित कर्मचारी की मृत्यु से पहले जारी किया जा सकता था।

27. यहां प्रश्न यह है कि जब एक या दूसरे कर्मचारी के "चिकित्सा अमान्यकरण" की घोषणा के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले पर विचार करने के लिए दिनांक 25.03.2011 के परिपत्र के माध्यम से नीतिगत निर्णय लिया गया है, तो क्या किसी भी परिस्थिति में उक्त नीति निर्णय से विचलन हो सकता है।

28. इस न्यायालय का उत्तर इस कारण से नकारात्मक है कि यदि कोई नीतिगत निर्णय या नियम या विनियम, यदि विधायिका द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ऐसी नीतिगत सामग्री निर्णय/नियम/विनियमन/परिपत्र आदि, **झारखंड राज्य और अन्य बनाम अम्बे सीमेंट्स एवं अन्य, (2005) 1 एससीसी 368** के मामले में दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित अनुच्छेद 26 में निर्णय दिया है ;-

> *'....यह व्याख्या का कार्डिनल नियम है कि जहां एक क़ानून यह प्रावधान करता है कि कोई विशेष काम किया जाना चाहिए, तो इसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य तरीके से। यह व्याख्या का स्थापित नियम भी है कि जहां एक क़ानून चरित्र में दंडात्मक है, उसे सख्ती से समझा जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए.....*

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जुआरी सीमेंट लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेश, ईएसआईसी हैदराबाद और अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय में **(सिविल अपील संख्या 5138-40/2007 में), (2015) 7 एससीसी 690,** अनुच्छेद 14 में निम्नानुसार आयोजित किया गया:

> *"**14.** अधिनियम की योजना के अनुसार, समुचित सरकार ही छूट प्रदान अथवा अस्वीकृत कर सकती है। जब क़ानून ने अधिनियम के संचालन से छूट देने या इनकार करने की प्रक्रिया निर्धारित की है, तो यह उस तरीके से किया जाना है और किसी अन्य तरीके से नहीं। झारखंड राज्य बनाम अंबे सीमेंट्स में, यह माना गया था कि: (एससीसी पृष्ठ 378, पैरा 26)*
> ***26****.... यह व्याख्या का कार्डिनल नियम है कि जहां एक क़ानून यह प्रावधान करता है कि एक विशेष चीज की जानी चाहिए, इसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।*

30. ऊपर उद्धृत केस कानूनों से यह स्पष्ट है कि चीजें सख्ती से वैधानिक प्रावधान के अनुसार की जानी हैं और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस उद्देश्य के लिए वैधानिक आदेश या नीतिगत निर्णय से कोई विचलन नहीं हो सकता है।

31. इसमें, वर्तमान मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मामले पर विचार करने के लिए आवश्यक "चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र विधिवत गठित समिति द्वारा जारी नहीं किया गया था और इस तरह के नीतिगत निर्णय / नियम / विनियमन / परिपत्र आदि से कोई विचलन होगा, जैसा कि 25.03.2011 के नीतिगत निर्णय में किया गया है, वही किसी की अनुपस्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने में संबंधित पार्टी को छूट देगा यदि यह प्रमाण-पत्र चिकित्सा अशक्तीकरण है और इसलिए यदि यह संबंधित व्यक्ति के पक्ष में प्रदान किया जाता है तो यह दिनांक 25-03-2011 के परिपत्र के खंड 2.3 के अंतर्गत नीतिगत निर्णय से विचलन माना जाएगा।

32. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर कि वैधानिक आदेश या नीतिगत निर्णय से कोई विचलन नहीं हो सकता है, जैसा कि ऊपर संदर्भित निर्णय में निर्धारित किया गया है, यह विचार है कि किसी भी "चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र के अभाव में चिकित्सकीय रूप से अमान्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है ताकि उक्त योजना का कड़ाई से पालन करते हुए।

33. जहां तक यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नीतिगत निर्णय कि चूंकि यह कानून का एक लाभकारी टुकड़ा है, इसलिए इसे उदार दृष्टिकोण दिया जाना है, उसी पर विवाद हम नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन कानून के लाभकारी टुकड़े का मतलब यह नहीं है कि नीतिगत निर्णय से विचलन होना चाहिए अन्यथा "चिकित्सा अमान्यकरण" प्रमाण पत्र के संबंध में नीतिगत निर्णय से विचलन के मामले में, यह एक या दूसरे को छूट देने के समान होगा जो कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छूट की शक्ति भी नीतिगत निर्णय या नियमों/विनियमों में निर्धारित की जानी है और इसके अभाव में यदि कोई छूट दी जाएगी तो यह

उक्त नीतिगत निर्णय के विपरीत होगा जैसा कि **जे.सी यादव बनाम हरियाणा राज्य, [(1990) 2 एससीसी 189: 1990 एससीसी (एल एंड एस) 218],** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है। जिसमें, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> *"नियमों में ढील उस सीमा तक हो सकती है जहां तक राज्य सरकार किसी विशेष स्थिति से न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझती है। नियम का दायरा राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में नियमों की आवश्यकता को शिथिल करने की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जिस हद तक वह मामले से न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे। अनुचित कठिनाई को कम करने अथवा किसी विशेष स्थिति का सामना करने की दृष्टि से नियमों में छूट की शक्ति सामान्यत निहित होती है। कई बार सेवा नियमों का सख्त अनुप्रयोग ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां एक विशेष एलपीए संख्या 126/2022 और समान मामलों में व्यक्तिगत या व्यक्तियों के एक समूह को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और आगे ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अपेक्षित योग्य व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास नियमों की आवश्यकता में छूट देने की शक्ति है। राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपेक्षित अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाने की दृष्टि से किसी विशेष नियम में ढील देते हुए एक सामान्य आदेश जारी कर सकती है। छूट अगर सामान्य तरीके से दी जाती है तो व्यक्तिगत अधिकारियों के लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा।''*

34. उत्तरदाता -मूल आवेदक के विद्वान वकील ने ***अंकित तिवारी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य [रिट याचिका (सेवा) संख्या 1665/2017]*** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय खंडपीठ द्वारा दिए गए

निर्णय का उल्लेख किया है। जिसमें एक ही परिपत्र विषय वस्तु थी और उसमें यह निर्धारित किया गया है कि उक्त योजना चूंकि कानून का लाभकारी टुकड़ा है, इसलिए इसे एक उदार दृष्टिकोण दिया जाना चाहिए न कि अति-तकनीकी दृष्टिकोण। हमने उक्त निर्णय को देखा है और उससे पाया है कि उक्त अंकित तिवारी का मामला यह था कि चिकित्सा अमान्य होने से पहले चूंकि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया था कि मृत्यु मानव के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यदि मृत्यु है तो खंड 2.3 के तहत निहित प्रावधान को प्राकृतिक मृत्यु संबंधित कर्मचारी की चिकित्सा अमान्यता के कारण निरर्थक नहीं कहा जा सकता है लेकिन कानून की यह स्थापित स्थिति है कि निर्णय का परीक्षण प्रत्येक मामले को शासित करने वाले तथ्य के आधार पर किया जाना है और निर्णय की कोई सार्वभौमिक प्रयोज्यता नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (2014) 5 एससीसी 75**,के मामले में निर्णय दिया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद -47 में जो निम्नानुसार पढ़ता है:

> *"47. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए और मामला केवल एक प्राधिकरण है कि यह वास्तव में क्या तय करता है, न कि तार्किक रूप से इसका अनुसरण करता है। अदालत को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति उस निर्णय की तथ्य स्थिति के साथ कैसे फिट बैठती है जिस पर निर्भरता रखी गई है।*

35. इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है यानी **अंकित तिवारी (सुप्रा)** के मामले में यह इस मामले में लागू नहीं होता है कि उस मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं करने का कोई विकल्प नहीं था।

36. इस संबंध में, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार सेल की कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] के तहत लाभ प्राप्त हो

जाने के बाद खंड 2.3 के तहत निहित प्रावधान का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस कारण से कि चिकित्सा अमान्य रिपोर्ट नहीं है।

37. इस न्यायालय ने, इस मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया है कि वर्तमान में दावे को न केवल "चिकित्सा अमान्यकरण" रिपोर्ट होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, बल्कि इसके अलावा विकल्प का आधार बनाया गया है कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] के लिए चुनने वाले मृतक कर्मचारी के आश्रित/नामांकित व्यक्ति द्वारा उपक्रम के माध्यम से प्रयोग किया गया है आश्रित अपने पिता अर्थात् मखमल पान के दुखद निधन पर भविष्य में अनुकंपा के आधार पर सेल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा, इसलिए, वास्तव में **अंक्ति तिवारी (सुप्रा)** के मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

38. इस न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर उल्लिखित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धांत पर आधारित है, यह विचार है कि मूल आवेदक द्वारा जो तर्क दिया गया है कि नीतिगत निर्णय को लाभकारी कानून मानते हुए हाइपर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने योग्य नहीं है, उसमें कोई सार नहीं है, अपनाने के लायक नहीं है।

39. इसके अलावा स्वीकृत तथ्य यह है कि मूल आवेदक ने स्वयं कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] का चयन करते हुए एक वचन प्रस्तुत किया है कि वह या उसका कोई आश्रित अपने पिता अर्थात् मखमल पान के दुखद निधन पर भविष्य में अनुकंपा के आधार पर सेल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा।

40. मूल आवेदक द्वारा दिया गया उक्त विकल्प बहुत विशिष्ट है और इसे अस्वीकार नहीं किया गया है और इसलिए हमारे सुविचारित विचार के अनुसार एक बार वचनबद्धता देने के माध्यम से विकल्प का प्रयोग करने के बाद मूल आवेदक इस तरह के वचन पत्र से विचलित नहीं हो सकता है ताकि नीतिगत निर्णय के खंड 2.3 के तहत प्रदान किए गए अनुकंपा के आधार पर उसके मामले पर विचार करने का दावा किया जा सके अन्यथा चिकित्सा की अनुपस्थिति में

भी नीतिगत निर्णय का बहुत उद्देश्य है अमान्यकरण प्रमाणपत्र होगा और इस दृष्टि से नीतिगत निर्णय निरर्थक होगा।

41. इसके अलावा, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय के पास नीतिगत निर्णय के विपरीत छूट देने की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में रिट न्यायालय को निहित शक्ति कानूनी स्थिति को बनाए रखने के लिए है ताकि उससे विचलन न हो।

42. इस न्यायालय ने पूर्वोक्त तथ्य पर चर्चा की और आक्षेपित आदेश पर आते हुए पाया है कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को नकारने के आधार को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि 25.03.2011 के परिपत्र के माध्यम से योजना को अपनाने के समय दिए गए उपक्रम को नियोक्ता द्वारा दिए गए जबरदस्ती का परिणाम माना गया है।

43. इस न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष के औचित्य के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को मूल आवेदन की प्रति अभिलेख पर लाने का निर्देश दिया है ताकि यह जांच की जा सके कि इस तरह की दलील विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष की गई थी या नहीं।

44. पूर्वोक्त निर्देश के अनुसरण में रिट याचिकाकर्ता ने लिखित बयान की प्रति के साथ मूल आवेदन की प्रति को अभिलेख में लाया है।

45. हमने, मूल आवेदन की प्रति की जांच करने के बाद, पाया है कि *कर्म*चारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] का विकल्प चुनने के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए मूल आवेदन के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है, इस आशय का वह या उसका कोई भी आश्रित अपने पिता नामतः मखमल पान के दुखद निधन पर भविष्य में अनुकंपा के आधार पर सेल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा।

46. इस प्रकार प्रश्न यह होगा कि क्या विद्वान न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक निष्कर्ष देकर

दलील से विचलित हो सकता है जो संबंधित पक्ष द्वारा की गई दलील में उपलब्ध नहीं है।

47. कानून अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण को दलील के अनुसार सख्ती से जाना है और निष्कर्ष देकर प्रार्थना में संशोधन को ढालने से कोई विचलन नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम केडिया ग्रेट गैलियन लिमिटेड और अन्य (2017) 13 एससीसी 836** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है जिसमें पैरा 38 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है

> *'38 ... ... इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि जिस चीज के लिए रिट याचिकाकर्ता का इरादा या प्रार्थना नहीं की गई है, उसे इस अपील में नहीं देखा जा सकता है।*

48. यह न्यायालय पूर्वोक्त सिद्धांत पर आधारित है और ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल आवेदक द्वारा की गई दलील के माध्यम से जाने के बाद, यह विचार है कि मूल आवेदक को जबरदस्ती के अधीन किया गया था, इस तरह के जबरदस्ती के अधीन किया गया था ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज की गई जबरदस्ती, हमारे विचार के अनुसार, विकृति से ग्रस्त है। इस तरह के निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा विकृति के अर्थ को ध्यान में रखते हुए पहुंचे हैं, जिसका अर्थ है कि दलील या दलील के विपरीत दर्ज किए गए निष्कर्ष को गलती से वही माना गया है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अरुलवेलु और अन्य बनाम राज्य लोक अभियोजक और अन्य [(2009) 10 एससीसी 206]** द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अनुच्छेद 27 के मामले में आयोजित किया गया है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है: -

> *"27. अभिव्यक्ति "विकृत" को निम्नलिखित तरीके से विभिन्न शब्दकोशों द्वारा परिभाषित किया गया है:*

1. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, 6 वां संस्करण। विकृत–जानबूझकर ऐसा व्यवहार करने का दृढ़ संकल्प दिखाना जो ज्यादातर लोग गलत, अस्वीकार्य या अनुचित समझते हैं।''

2. समकालीन अंग्रेजी का लॉन्गमैन शब्दकोश, अंतर्राष्ट्रीय एड। विकृत–जो सामान्य और उचित है, उससे जानबूझकर हटना।

3. द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, 1998 एड। विकृत - विधि (निर्णय का) साक्ष्य के भार या विधि के प्रश्न पर न्यायाधीश के निर्देश के विरुद्‌ध विधि (निर्णय का)।

4. द न्यू लेक्सिकन: वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज (डीलक्स एनसाइक्लोपीडिक एड। विकृत.-जानबूझकर स्वीकृत या अपेक्षित व्यवहार या राय से विचलित होना; दुष्ट या स्वच्छंद; अड़ियल; क्रॉस या पेटुलेंट।

5. स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, 4 वां संस्करण "विकृत–एक विकृत निर्णय को संभवतः एक ऐसे निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न केवल साक्ष्य के वजन के खिलाफ है, बल्कि पूरी तरह से सबूत के खिलाफ है।''

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य [(1999) 2 एससीसी 10]** के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय ने अनुच्छेद 9 और 10 के तहत कहा है जो निम्नानुसार पढ़ता है: -

"9. आम तौर पर उच्च न्यायालय और यह न्यायालय घरेलू जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर "अपराध" का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो यह एक विकृत खोज होगी और न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी होगी।

10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखना होगा जो विकृत हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी सबूत या सबूत के किया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और - कोई भी

उचित व्यक्ति इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन यदि रिकार्ड में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी व्यापक हों, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

50. इसके अलावा, "विकृत" के अर्थ **एच.बी गांधी, आबकारी और कराधान अधिकारी सह निर्धारण प्राधिकरण, करनाल और अन्य बनाम मैसर्स गोपी नाथ एंड संस और अन्य [1992 पूरक (2) एससीसी 312]** में जांच की गई है, जिसमें अनुच्छेद 7 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: -

"7. वर्तमान मामले में, न्यायिक समीक्षा में मूल्यांकन को चुनौती देने और विचार करने के लिए जिस स्तर पर और बिंदु उचित नहीं थे। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन के खिलाफ अपील की अदालत में खुद को गठित करने में गलती की थी। जबकि यह उत्तरदाता के लिए खुला था कि वह इस मुद्दे को उठा सकता था और उच्च न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता था कि धारा 39(5) के परंतुक के तहत राहत से इनकार करना उचित था या नहीं, उच्च न्यायालय प्राथमिक या बोधगम्य तथ्यों की पुनर्मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं था जो अन्यथा क़ानून के तहत तथ्य-खोज प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में थे। यह सवाल कि क्या लेनदेन बिक्री कर के लिए बिक्री योग्य थे या नहीं, वैधानिक अधिकारियों द्वारा पाए गए प्राथमिक तथ्यों के आधार पर माध्यमिक या अनुमानित तथ्यों को अभिलेख करने में एक अभ्यास का गठन किया। लेकिन समीक्षा में जो हमला किया गया था, वह था, पदार्थ में, शुद्धता - जैसा कि कानूनी अनुमति से अलग है - स्वयं प्राथमिक या अवधारणात्मक तथ्यों की। निस्संदेह, यह सच है कि यदि प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करके या उसे बाहर करके या असंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है या यदि निष्कर्ष इतने अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि विकृत होने

का दोष उठाने वाली तर्कहीनता के दोष से पीड़ित होता है, तो यह निष्कर्ष कानून में कमजोर हो जाता है।

51. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विकृति का अर्थ है कि यदि कोई निर्णय बिना किसी सबूत या सबूत के आधार पर किया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन यदि रिकार्ड में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर विश्र्वास किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी व्यापक हों, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

52. इस न्यायालय का विचार आगे है कि भले ही विद्वान न्यायाधिकरण ने इस आशय की किसी भी प्रार्थना के अभाव में कि खंड 2.3 के तहत निहित संपूर्ण प्रावधान कानून की नजर में गलत और बुरा है और उस प्रभाव के लिए किसी भी दलील के अभाव में उक्त प्रावधान को रद्द कर दिया है, जो हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी प्रार्थना और उस प्रभाव के लिए की गई दलील के अभाव में उचित नहीं कहा जा सकता है। 53. यह भी विवाद में नहीं है कि ट्रिब्यूनल को प्रावधान की वैधता और संवैधानिकता को देखने की शक्ति मिली है, लेकिन यह उसमें की गई दलील और प्रार्थना पर आधारित होना चाहिए और उसके अभाव में यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो वही अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होगा।

54. इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर और जैसा कि याचिकाकर्ता सेल के विद्वान वकील द्वारा बताया गया है कि भले ही नीतिगत निर्णय को रद्द करने के लिए मूल आवेदन में कोई दलील और प्रार्थना नहीं थी, जिसमें खंड 2.3 के तहत निर्धारित शर्त शामिल है, परिपत्र दिनांक 25.03.2011 के खंड 2.3 को रद्द कर दिया गया है, यह विचार है कि इसे रद्द करते समय विद्वान न्यायाधिकरण ने इस कारण से अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है कि मूल आवेदन में ऐसी कोई दलील या प्रार्थना नहीं की गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो मूल आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

55. इसलिए, इस न्यायालय ने यहां ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, जहां तक तथ्य और कानून का संबंध है, यह विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

56. तदनुसार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना बेंच, पटना (रांची में सर्किट बेंच) द्वारा ओए/051/00104/2016 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 को रद्द किया जाता है और रद्द रखा जाता है।

57. परिणाम में, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

58. इस स्तर पर, उत्तरदाता आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाता सेल की "कर्मचारी परिवार लाभ योजना [ईएफबीएस] के लाभ को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिस पर, रिट याचिकाकर्ता-सेल के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वे अभी भी उक्त योजना का लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

59. इसके मद्देनजर, इस आदेश की प्रति प्राप्त करने/प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी के आश्रितों को इस तरह की योजना का लाभ दिया जाए।

60. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, **न्यायाo.**.)

(नवनीत कुमार, **न्यायाo.)**

अलंकार/-

ए.एफ.आर.

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।